

फर्द अहकाम
(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी, शिव

| प्रार्थीगण | बनाम | विप्रार्थीगण |
|---|------|--|
| मोटाराम पुत्र उगराराम जाति जाट, निवासी उण्डू, तहसील शिव, जिला बाड़मेर | | पूनमाराम पुत्र उगराराम जाति जाट, निवासी उण्डू, तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (08) |

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन (धारा 212)

मुकदमा नम्बर 01 / 2022

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|------------|---|--|
| 10.01.2022 | प्रार्थी/वादी/अपीलाण्ट के वकील श्री हुकमसिंह चौधरी ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेन्ट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 19.01.2022 को पेश हो। | |
| 19.01.22 | पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा विप्रार्थीगण के शामिल हुए नोटिस पेश किये, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थी सख्त 1 व 2 के अधिवक्ता द्वारा मूल वाद में वकालतगण पेश किये। पत्रावली में प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर एकपक्षीय अंतरिम बरस हुनी जाकर निर्णय सुनाया गया। निर्णय पृथक् से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वात्ते विप्रार्थी सख्त 1 व 2 के जवाब तथा शेष का इंतजार होकर आईन्दा दिनांक 28.01.2022 को पेश हो। | |

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

28.11.22

पत्रावली पेश हुई
इलापक्ष अधिवक्ता उपस्थित।
पत्रावली वाले विपक्षी सख्त 15/2 के जवाब
नया शेष का इन्तजार होकर दिनांक 2.2.23
को पेश हो

03.2.22

पत्रावली पेश हुई
इलापक्ष अधिवक्ता उपस्थित।
यूनि इन्त आवेदन का मूल वाद पूर्व में
विचाराधीन पत्रावली रामपुराद बनाम सोटा राम
वाद सख्त 15/2/2021 के साथ कन्सोलिटेड
दिना जा चुका है।

इन्त मूल वाद के कन्सोलिटेड होने
पर इन्त आवेदन को भी पूर्व विचाराधीन
पत्रावली के साथ कन्सोलिटेड दिना जाता
है